बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपना घर(ललित भवन के पीछे)
बेली रोड, पटना-800023, बिहार।

"मिशन वात्सल्य योजना" अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थानों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन:-

राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) पटना, बिहार अंतर्गत जोखिमग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु केन्द्र प्रयोजित 'मिशन वात्सल्य योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु सांस्थानिक देखभाल के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों का संचालन एवं गैरसंस्थानिक देखभाल के अंतर्गत दत्तकग्रहण प्रायोजन इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु SCPS द्वारा निम्नांकित संविदा आधारित पदों पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0	कार्यालय का नाम	पदनाम	संख्या	कोटि	मानदेय	
1	राज्य बाल संरक्षण समिति	कार्यक्रम प्रबंधक, SARA	1	UR-1	35,400	(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA देय है)
2		कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण)	1	UR-1	29,200	
3	जिला बाल संरक्षण इकाई	विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	5	UR-1, BC-1, EBC-2, WBC-1	21,700	
4		परामर्शी, DCPU	8	UR-2, EWS-1, BC-2, EBC-3	18,000	
5		डाटा एनालिस्ट	6	UR-2, EWS-1, BC-1, SC-2	18,000	
6		सामाजिक कार्यकर्ता	11	UR-2, UR (Female)-3, EWS-1, BC-1, EBC (Female)-1, WBC-1, SC-1, SC (Female)-1	18,000	
7		आउटरिच वर्कर	17	UR-6, UR (Female)-3, EWS-2, BC-2, EBC-2, SC-2	12,000	5 % वार्षिक वृद्धि देय है
8	बाल देखरेख संस्थान	परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी	18	UR-5, UR (Female)-3, EWS-2, BC-2, EBC-2, EBC (Female)-1, SC-2, SC (Female)-1	18,000	(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA देय है)
9		परामर्शी (गृह)	17	UR-5, UR (Female)-2, EWS-2, BC-2, EBC-2,	18,000	

Scanned with OKEN Scanner

				EBC (Female)-1, SC-2, SC (Female)-1		
10		हाउसफादर/ हाउसमदर	18	UR-3, UR (Female)-2, EWS-2, BC-2, EBC-2, EBC (Female)-1, SC-4, SC (Female)-1, ST-1	18,000	
11		पारा मेडिकल स्टाफ	22	UR-5, UR (Female)-2, EWS-2, BC-4, EBC-3, EBC (Female)-1, SC-4, SC (Female)-1	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप	
12	बाल देखरेख संस्थान (विशेष इकाई)	फिजियोथेरेपिस्ट	2	UR-1, SC-1	18,000	(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित DA देय है)
13		केयरटेकर-सह-वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर	1	SC (Female)-1	10,000	5 % वार्षिक वृद्धि देय है
14		नर्स (महिला)	2	SC (Female)-1, EBC (Female)-1	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप	
			कुल-129			

नोट:- इस भर्त्ती/नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत/तय की गई आरक्षण नीति लागू होगी।

i. ऑनलाईन आवेदन दिनांक-01.09.25 से प्रारंभ होंगे एंव दिनांक-24.09.25 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होगें।

ii. नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता एवं अन्य सूचना का अवलोकन समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare पर किया जा सकता है।

iii. इस संबंध में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या- PR-019297(B & C) 2023-24 को निरस्त किया जाता है।

28.08.25

(रंजिता)
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

Scanned with OKEN Scanner

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

1. **वांछित अर्हताएँ**

क्र०	कार्यालय का नाम	पद का नाम	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव
1	राज्य बाल संरक्षण समिति	कार्यक्रम प्रबंधक	Post Graduate degree in Social Work /Sociology/ Child Development/Human Rights Public Administration/ Psychology/ Psychiatry/ Law/ Public Health / Community Resource Management from a recognized University	3 Years of experience in project formulation/ implementation, monitoring and supervision in the preferably in the field of Women & Child Development / Social Welfare. Proficiency in Computers.
2		कार्यक्रम अधिकारी	Post Graduate degree in Social Work /Sociology/ Child Development/Human Rights Public Administration/Psychology/ Psychiatry/ Law/ Public Health / Community Resource Management from a recognized University OR Graduate in Social Work /Sociology/ Child Development/ Human Rights Public Administration/ Psychology/ Psychiatry/ Law/ Public Health / Community Resource Management from a recognized University	2 years' experience in project formulation/ implementation, monitoring and supervision in the preferably in the field of Women & Child Development / Social Welfare Proficiency in Computers
3	जिला बाल संरक्षण इकाई	विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	LLB from recognized university	Experience of at least 2 years of working with Govt./ NGO/ Legal Matters preferably in the field of Women & Child Rights. Good understanding of Women & Child right & protection issues. Mission Vatsalya Guidelines
4		परामर्शी, DCPU	Graduate in Social Work /Sociology/Psychology/ Public Health/ Counselling from a recognized university. OR PG Diploma in Counselling and Communication.	At least 1 year of working experience with the Govt./NGO preferably in the field of Women &Child Development. Proficiency in Computers.

5		डाटा एनालिस्ट	Graduation in Statistics/ Mathematics/Economics/ Computer (BCA) from a recognized university.	Weightage for work experience candidate Proficiency in Computers
6		सामाजिक कार्यकर्ता	Graduate preferably in B.A in Social Work/ Sociology/ Social Sciences from a recognized university.	Weightage for work experience candidate Proficiency in Computers
7		आउटरिच वर्कर	12th passed from a recognize Board/ Equivalent Board	Good Communication Skills Weightage for work experience candidate.
8		परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी	Graduate Preferably in B.A in Social Work/Sociology/Social Sciences or LLB from a recognized University.	At least 2 years of working experience in the juvenile justice system with children in difficult circumstances.
9	बाल देखरेख संस्थान	परामर्शी (गृह)	Graduate in Social Work/Sociology/Psychology/Public Health/Counselling from a recognized University. Or PG Diploma in Counselling and Communication	At least 2 years of working experience in School / institution.
10		हाउसफादर/ हाउसमदर	10+2 or equivalent.	At least 2 years of working experience with children in difficult circumstances.
11		पारा मेडिकल स्टॉफ	Intermediate with Diploma in Nursing from a Government/Indian Nursing Council recognized nursing institute.	At least 1 years of working experience in Clinic / Hospital / Institute.
11		फिजियोथेरेपिस्ट	Bachelor Degree in Physiotherapy from a Recognized institute.	A minimum of 3 years' experience
13	बाल देखरेख संस्थान (विशेष इकाई)	नर्स (महिला)	Intermediate with Diploma in Nursing from a Government/Indian Nursing Council recognized nursing institute.	A minimum of 1 years' experience in a hospital/health facility.
14		केयरटेकर-सह-वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर	Matriculation With the Skill in a Vocational Trade (Tailoring, Handicraft, Mobile repairing, basic computer skill like Data Entry etc.)	A minimum of 1 year experience working as a vocational trainer/instructor with an organization

2. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जिनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति का समय दिनांक-01.09.2025 से प्रारंभ होगा तथा आवेदन दिनांक-24.09.2025 के अपराह्न 11.59 बजे तक स्वीकार्य होगें।
4. विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare पर नियोजन से संबंधी Link उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा लिंक के माध्यम से आवेदन पोर्टल पर जाकर सर्वप्रथम स्वयं को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाईल नं० एवं ई-मेल पर प्राप्त आई० डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया की जा सकेगी।
5. आवेदन केवल निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।
6. **आरक्षणः-**
   i. इस भर्ती/नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत/तय की गयी आरक्षण नीति लागू होगी।
   ii. ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
   iii. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
   iv. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
   v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार में बुलाये जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
   vi. सभी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है।
   vii. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
   viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का दावा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों

अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य है। अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिये विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध माना जायेगा।

ix. अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे, कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

7. **उम्र सीमा** - संविदा पर नियोजन हेतु आयु सीमा -
   I. अनारक्षित वर्ग (पुरूष) - 37 वर्ष।
   II. अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष।
   III. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) 40 वर्ष।
   IV. अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला) - 42 वर्ष।
   उम्र की गणना दिनांक-31.07.25...... के प्रभाव से की जायेगी।

8. **नियोजन अवधिः**- मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित नियोजन मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत प्रावधानित हैं जिस पर प्रारंभ में 03 माह प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जायेगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत शेष अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9. **चयन प्रक्रियाः**- पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत तथा साक्षात्कार के लिए अंको के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर किया जायेगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा लेकिन इसे मेधा सूची हेतु अंक गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत विवरणी https://state.bihar.gov.in/socialwelfare पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. अंतिम मेधा सूची कुल 100 अंकों के आधार पर बनायी जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक, 10 (5+5) अंक शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 02 उच्चतर डिग्री हेतु एवं 40 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित होंगे। साक्षात्कार में उतीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंक का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के पास सुरक्षित है। राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए अधिकार धारित करता है।

12. प्राप्त आवेदनों के आलोक में निर्धारित मापदंड के अनुरूप तैयार मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त

शेष अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यह प्रतीक्षा सूची अगले दो वर्षों तक वैध होगी। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

13. चयनित अभ्यर्थियों का बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापन एवं स्थानांतरण का निर्णय राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा लिया जायेगा।
14. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
15. नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार सचिव, समाज कल्याण-सह-अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति होंगें एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

28.08.25

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।